इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र-व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्भूत विभाग का नाम दिया जाय ।

सं० 10/15/72-रा०एकी०

प्रेषक
श्री श्याम बिहारी शुक्ल,
भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी,
लखनऊ ।

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग

लखनऊ दिनांक 3 जून, 1972

विषयः - उर्दू अकादमी के कार्यालय के पदों का सृजन एवं व्यय की अन्य मदों पर स्वीकृति ।

महोदय,

आपके पत्र संख्या 12/उ0अ0/72, दिनांक फरवरी, 1972 के संदर्भ में एवं शासकीय पत्र 9/44/71-रा0एकी0, दिनांक 29 जनवरी, 1972 के क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि आपके कार्यालय के लिए निम्नलिखित पदों को उनके सामने अंकित वेतनमानों में सृजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

पद	वेतनमान	पद संख्या
1- अकादमी के सचिव	रु0 300-25-400-30-700-50-900,	1
2- कार्यालय अधीक्षक	रु0 350-20-450	1
3- उच्च श्रेणी लिपिक	रु0 140-8-180-10-280	1
4- आशुलिपिक (कार्यकारिणी के अध्यक्ष के लिए)	रु0 160-8-200-10-220-12-320	1
5- निम्न श्रेणी लिपिक	रु0 100-4-120-5-180	2
6- टंकक (हिन्दी व अंग्रेजी)	रु0 100-4-120-5-180	1
7- स्क्राइवर (उर्दू)	रु0 100-4-120-5-180	1
8- दफ्तरी कम साइक्लोस्टाइल आपरेटर	रु0 60-1-80	1
9- चपरासी - कार्यालय	रु0 55-1-75	1
10- चौकीदार-कम-फर्राश	रु0 55-1-75	1
11- स्वीपर (पार्ट टाइम)	रु0 25 प्रति माह	1

2- सचिव के पद पर नियुक्ति शासन द्वारा की जायगी । अन्य पदों पर नियुक्तियाँ अकादमी द्वारा स्वयं की जायेंगी । इन पदों पर नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों की अर्हतायें राज्य कर्मचारियों के लिए निर्धारित अर्हताओं के समकक्ष होंगी तथा उनको राज्य कर्मचारियों को समय समय पर देय महगाई तथा अन्य भत्ते भी दिये जायेंगे । उनकी सेवा शर्तें भी अकादमी राज्य कर्मचारियों की सेवा शर्तों के समान होंगी ।

क्रमशः

3- उपर्युक्त के अतिरिक्त अकादमी द्वारा प्रस्तुत आवर्तक तथा अनावर्तक व्यय से संबंधित निम्नलिखित प्रस्तावों पर भी स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

आवर्तक

व्यय की मद	धनराशि
1- अकादमी के कार्यालय के लिए भवन का किराया	रू0 500/- प्रति माह तक

अनावर्तक

1- एक हिन्दी तथा एक उर्दू टाइपराइटर का क्रय - इनका क्रय सरकार द्वारा स्वीकृत फर्म से किया जाय ।	4000/- रू0 के अन्दर
2- साइकिलें - 2(दो) -----	रू0500/-
3- टेलीफून्स- 2 (ओ0वाई0टी0)	रू0 5,200/-
4- साज सज्जा (फर्नीचर)(कुर्सी मेज, रैक, पंखे, आलमारियांसेफ, घड़ियां आदि)	6000/-
5- साइकलोस्टाइल मशीन-1 (एक)	3,500/-
6- इम्प्रेस्ट	1000/-

4- अकादमी द्वारा प्रस्तावित अन्य आवर्तक व्यय-यथा बिजली, टेलीफोन पोस्टेज स्टैम्प, सवारी भत्ता, लेखन सामग्री, रेल का माल भाड़ा तथा अकादमी की बैठकों में चाय आदि की व्यवस्था को सम्मिलित करते हुए सामान्य आकस्मिक व्यय- पर 16,100/- रू0 तक, जैसा कि प्रस्तावित है, व्यय किया जा सकता है ।

5- उक्त सभी मदों पर होने वाला व्यय उर्दू अकादमी की निधि से वहन किया जायगा ।

भवदीय,

(श्याम बिहारी शुक्ल)
भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी ।

संख्या 10/15/72(1)रा0एकी0

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1।

आज्ञा से,

(श्याम बिहारी शुक्ल)
भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी ।